मे,

श्रीमान न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस डी ओ) महो0

गुडामालानी जिला बाडमेर ।

/5/18

प्रार्थी :–

1. डालुराम पुत्र भोमाराम उम्र 75 वर्ष
जाति कुम्भार निवासी थोरियो का तला ,मालपुरा
तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर ।

Reader chk & report

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. ईशराराम पुत्र पुरखाराम उम्र 52 वर्ष
2. डालुराम पुत्र पुरखाराम उम्र 45 वर्ष
3. तुलछाराम पुत्र पुरखाराम उम्र 40 वर्ष
4. श्रीमति तिजोदेवी पत्नी पुरखाराम उम्र 70 वर्ष
5. विराराम पुत्र कोशलाराम उम्र 38 वर्ष
6. मालाराम पुत्र कोशलाराम उम्र 36 वर्ष
7. श्रीमति तगी पत्नी कोशलाराम उम्र 62 वर्ष जाति जाट
निवासी थोरियो का तला तहसील गुडामालानी ।
8. आलम पुत्र गाजी उम्र 70 वर्ष
9. जीवण पुत्र गाजी उम्र 65 वर्ष कौम मुसलमान
निवासी थोरियो का तला तहसील गुडामालानी ।
10. वगताराम पुत्र डाऊराम उम्र 48 वर्ष ।
11. मगाराम पुत्र [illegible] उम्र 4[illegible] वर्ष
12. श्रीमति कुन्[illegible] पत्नी [illegible] उम्र 70 वर्ष ।
कौम कुम्भार निवासी थोरियो का तला मालपुरा ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.02.01 12:03:19 IST
Reason: SelfAttested

अ. नि. डालुराम

13. ग्रामसेवक ग्राम पंचायत मालपुरा ।

14. सरपंच ग्राम पंचायत मालपुरा ।

15. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी डब्लु डी) गुडामालानी ।

16. तहसीलदार गुडामालानी ।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 निमय 1 व 2 सपठित धारा 151 सी पी सी वास्ते अस्थाही निषेधाज्ञा

महोदयजी,

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से है :–

1. कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का श्रीमानजी के समक्ष विधि के ठोस आधारो पर पेश किया है । जिसमे वर्णित तथ्यो के आधार पर प्रार्थी को प्रथम दृष्टया सफलता मिलने की पुर्ण सम्भावना है ।
2. कि प्रार्थी की खातेदारी के खेत ग्राम थोरियो का तला पटवार क्षेत्र मालपुरा तहसील गुडामालानी के खसरा नम्बर 137 रकबा 63–00 बीघा किस्म बारानी सोयम की भूमि आई हुई है । उपरोक्त खसरे की भूमि पर प्रार्थी का पीढीयो से सेटलमेन्ट से पुर्व सेटलमेन्ट के समय , सेटलमेन्ट के पश्चात आज दिन तक खातेदारी मे दर्ज होकर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है ।
3. कि प्रार्थी के आराजी के उपरोक्त वादग्रस्त खसरे के सेढा सेढ विप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के खेत खसरा नम्बर 136/6 का खातेदारी का है लेकिन की उक्त खसरे के पडोस मे हमारा खातेदारी का खेत आने से कब्जा करने पर उतारू है । कि विप्रार्थी गण संख्या 8 से 9 का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 93 भी हमारे पडोस मे आया हुआ है उक्त खातेदारो द्वारा भी हमारे खातेदारी खेत पर अतिक्रमण करने पर उतारू है । कि खसरा नम्बर 10 से 12 का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 93/1 भी हमारे पडोस मे आया हुआ है उक्त खातेदारो द्वारा भी हमारे खातेदारी खेत पर अतिक्रमण करने पर उतारू है । कि विप्रार्थी संख्या 13 एवं 14 द्वारा अनाधिकृत हमारे खातेदारी खेत मे मुरडा रोड बनाने पर उतारू है ।जो कि खसरा नम्बर 136/6 के सहारे सहार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.02.01 12:03:19 IST
Reason: SelfAttested

हमारे अन्दर बना रहे है । कि विप्रार्थीगण संख्या 15 द्वारा भी हमारे खातेदारी खेत मे उतर दिशा की ओर पक्की डामर सडक बना दी गई है ।

4. कि प्रार्थी के खातेदारी खेत के वादग्रस्त आराजी की भूमि मे विप्रार्थी संख्या 1 से 12 व उनके परिवार के सदस्यो का कानुनन कोई हक व हिस्सा नही है । कि जब हमने हमारे खातेदारी खेत की श्रीमानजी के आदेश से पक्की नेखमंबदी की कार्यवाही की गई थी तो तब हमको हमारे खेत पर अनाधिकत कब्जा का पता चला लेकिन की उस समय तो विप्रार्थी संख्या 1 से 12 द्वारा कहा की हम आपके खेत से हमारा अतिक्रमण हटा देगे लेकिन की अब 15 दिन पुर्व ही उक्त अतिक्रमियो द्वारा अपनी बात पर मुकर गये एवं कब्जा हटाने का आना कानी करने लग गये । कि विप्रार्थी संख्या 13 से 14 द्वारा जबरन हमारे खातेदारी खेत मे मुरडा डाला है। कि जहा ग्राम पंचायत द्वारा मुरडा डाला गया वहा किसी भी प्रकार का कोई कटाण रास्ता नही है। हमारे बहुत विरोध करने पर भी विप्रार्थी संख्या 13 से 14 ने मुरडा डालना शुरू कर दिया । कि विप्रार्थी संख्या 15 द्वारा वक्त समय मे न तो किसी प्रकार की सडक पेमाईस की एवं न ही हमको बताया था की उक्त स्थान पर सडक बनायेगे उक्त स्थान पर किया गया निर्माण जो कि गलत किया गया है । कि उक्त विप्रार्थी संख्या 13 से 15 द्वारा किया गया निर्माण को हटाया जाये । एवं उसको उक्त स्थान से हटाया जावे । विप्रार्थी संख्या 1 से 12 द्वारा हमारे खातेदारी खेत पर किया गया अनाधिकृत कब्जा को बेदखल किया जावे । एवं उक्त कब्जा विप्रार्थीगण को जब कब्जा हटाने को कहा तो उन्होने कब्जे वाले भू भाग को अपना खातेदारी का होना बताये हुये कब्जा हटाने इनकार कर दिया ।

5. कि उपरोक्त वर्णित तथ्यो का ज्ञान प्रार्थी को श्रीमानजी के न्यायालय से पक्की नेखमबंदी का आदेश से नेखमंबदी करवाने [illegible]ार पर प्रार्थी को उपरोक्त बात का ज्ञान एवं प्रार्थी की खातेदारी भू[illegible]ख्या 1 से 15 अतिचारी द्वारा अतिचार करने का पता चला । कि प्रार्थी अपन[illegible]ातेदारी खेत पर प्रतिवादी संख्या 1 से 12 व उनके परिवार के सदस्यो के विरूद्व इस आशय की प्रतिषोधात्क अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने करवाने के अधिकारी है कि ग्राम थोरियो का तला पटवार क्षेत्र मालपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 137 रकबा 63–00 किस्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.02.01 12:03:19 IST
Reason: SelfAttested

बारानी दोयम मे प्रार्थी के कब्जे काश्त मे विप्रार्थीगण संख्या 1 से 12 एवं उनके परिवार किसी भी सदस्य एवं विप्रार्थी संख्या 13 से 15 द्वारा भी किसी भी प्रकार की दखन्दाजी नही करे व न ही हस्तक्षेप करे ओर न ही जबरन कब्जा करे । और न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे।

6. कि बिनायदावा बमुकाम थोरियो का तला पटवार क्षेत्र मालपुरा तहसील गुडामालानी मे जब खसरा नम्बर 137 रकबा 63–00 बीघा मे वादी की खातेदारी मे दर्ज हुये तब अर्सा करीबन 15 रोज से प्रार्थी को विप्रार्थी संख्या 1 से 12 व उनके परिवार के सदस्य ने बेदखल करने की धमकिया दी तब तक उपर वर्णित तथ्यो के आधार पर पैदा हुआ है ।

7. कि यह आवेदन अन्तर्गत धारा 212 रा0 का अधि0 के तहत होने से निश्चित कोर्ट फीस 3 रू0 के स्टाम्प पेश है।

8. शेष वजुहात वक्त बहस निवेदन किये जायेगे ।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद ग्रस्त आराजी मौजा थोरियो का तला पटवार क्षेत्र मालपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर मे खेत खसरा नम्बर 137 रकबा 63–00 बीघा प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं मौके की यथा स्थिति तथा अतिचारी प्रतिवादी संख्या 1 से 15 सलग्न नजरिये नक्शा बरंग अलग अलग रंग मे विप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं अतिचारी भूमि पर किसी भी प्रकार का दखलन्दाजी नही करे तथा न ही भूमि का बैचान रहन रहन उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के मौके एवं रिकोर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे एवं किसी भी प्रकार निर्माण व नया कार्य व परिवर्तन मौके पर नही करे । इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जावे । शपथ पत्र साथ पेश है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.02.01 12:03:19 IST
Reason: SelfAttested

इति दिनॉक 27/10/2017

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

16/08/19 वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी अवसर चाहते है अवसर दिया जाता है पत्रावली दिनांक 6/9/19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

06/09/19 वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी के बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया। विवादित का स्थगन के पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है पत्रावली निर्णय सुनाए होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.02.01 12:03:19 IST
Reason: SelfAttested